

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 31/18/2017

संख्या- 3/एल-6-1-27/2017-521(3) /डा0 नागेन्द्र प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जन्दाहा (वैशाली) को उनके अभ्यावेदन पर राग्यक विभारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी0), सहपठित वित्त विभागीय पत्रांक-6190 दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि बाद में किसी अनियमितता के लिए दोषी पाये जाते हैं तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं कोई अवधि अविनियमित सिद्ध होती है तो उसकी जिम्मेवारी स्वयं चिकित्सक की होगी ।

2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रवीन्द्र यादव)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक : 3/एल-6-1-27/2017-521(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 31.18.17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि डा0 नागेन्द्र प्रसाद का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि : अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, वैशाली/सिविल सर्जन, देशाली, हाजीपुर/कोषागार पदाधिकारी, महुआ, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : डा0 नागेन्द्र प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जन्दाहा (वैशाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक ब्रनुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा-2,3,8,9 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

31.8.17